न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमलराम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–08/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. अम्मी पुत्र स्व0 श्री चिरंजी,
2. पप्पू पुत्र स्व0 श्री चिरंजी,
3. मोहरचन्द पुत्र स्व0 श्री चिरंजी,
4. कैलाश पुत्र स्व0 श्री चिरंजी,
5. श्रीमती संतोष पत्नि स्व0 श्री चिरंजी,
6. गीता पुत्री स्व0 श्री चिरंजी,
7. मोहरा पुत्री स्व0 श्री चिरंजी समस्त जातियान कुम्हार निवासीयान ग्राम जट्याना तहसील अलवर जिला अलवर ।

.....वादीगण/अपीलांटान

बनाम

1. कल्लू उर्फ कुल्लू पुत्र स्व0 नत्थू,
2. लल्लू पुत्र स्व0 नत्थू जातियान कुम्हार निवासीयान ग्राम जट्याना तहसील अलवर जिला अलवर राज0 ।

..... असल प्रति0/रेस्पो0

3. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार अलवर जिला अलवर ।

..... तकमीली प्रति0/रेस्पो0

उपस्थित :–

1. श्री भगवान सहाय शर्मा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–08.05.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण व असल प्रतिवादीगण एक ही कुटुम्ब नत्थू पुत्र हरमल कुम्हार के वंशज हैं । आराजी साबिक ख0 नं0 575 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम जट्याना तहसील व जिला अलवर में स्थित है जिसके सम्वत् 2020 में हाल नम्बर 756/832 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा व इसके सम्वत् 2051 बन्दोबस्त में हाल ख0 नं0 1316 रकबा 10 ऐयर, 1317 रकबा 20 ऐयर कायम हुए है । उक्त

8/5/18

आराजी विवादित है जिसके आगे विवादित आराजी कहा जायेगा । विवादित आराजी वादीगण व असल प्रतिवादीगण को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है तथा शुरू से ही काबिज व काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वादीगण का विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 का भी 1/3 हिस्सा है । अर्थात उक्त समान भाग के हिस्सेदार व काबिज है तथा मौके पर मुश्तर्का में काश्त करते आ रहे हैं । नत्थू पुत्र हरमल की मृत्यु उपरान्त विरासत इन्तकाल सं0 225 विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 व 2 तथा वादीगण के पिता चिरंजी के नाम बहिस्से बराबर में दर्ज है जिस इन्तकाल का अमल जमाबन्दी सम्वत् 2009 के खाता सं0 18 में हो गया जिसमें प्रतिवादी सं0 1 व 2 व वादीगण के पिता चिरंजी को गैर मौरूसी दर्ज किया हुआ है । सम्वत् 2012 में अर्थात सन् 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 व 2 एवं चिरंजी के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई जिसकी पुष्टि में जमाबन्दी सम्वत् 2010–13 एवं खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015 से 2019 प्रस्तुत की है । बन्दोबस्त सम्वत् 2020 में विवादित आराजी का नया ख0 नं0 756/832 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा जो बनाया गया था उसमें बन्दोबस्त कर्मचारियों ने वादीगण के पिता चिरंजी का नाम बिना किसी आदेश के मनमाने रूप से कलमजन कर दिया तथा खातेदार के स्थान पर भी गलत प्रकार से गैर खातेदार दर्ज कर दिया और यही इन्द्राज ताहाल दर्ज होता आ रहा है । संलग्न नकल खसरा बन्दोबस्त सम्वत् 2020 में साबिक इन्द्राज में वादीगण के पिता चिरंजी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम दर्ज है परन्तु नवीन इन्द्राज के कॉलम में वादीगण के पिता चिरंजी का नाम गलत एवं मनमाने रूप से हटा दिया गया जो साबिक रेकार्ड से बखूबी आयत व साबित है । इसलिए उक्त इन्द्राजात खिलाफ कानून व खिलाफ मौका होने के कारण वादीगण के हकूकों के खिलाफ बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी है । वादीगण अपने पिता स्व0 चिरंजी के जीवनकाल से ही आज तक विवादित आराजी पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 के साथ शामलात में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं और कानूनन खातेदार काश्तकार हैं । इसलिए वादीगण स्वयं को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने के व कागजात माल में अमल दरामद कराने के कानूनन अधिकारी हैं । इसलिए वाद वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण को वाद में चाहे गये अनुतोष के अनुसार दावा डिक्री किये जाने में मिन प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 27.12.2017 को वादी का वाद साबित नहीं होने के कारण खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया लेकिन असल रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी ।

हमने अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी । पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । तहत न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करते हुए कानूनी बिन्दुओं का भी अवलोकन किया गया ।

8/8/2018

अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2017 का है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तथ्यों की जांच किये व बिना रेकार्ड अवलोकन किये दावा वादी गलत खारिज किया है । विवादित आराजी हाल ख0 नं0 1316 रकबा 10 ऐयर व 1317 रकबा 20 ऐयर के गत ख0 नं0 756/832 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा हैं जो सम्वत् 2051 से पूर्व के हैं । सम्वत् 2020 के बन्दोबस्त से पूर्व के ख0 नं0 575 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा है । ये सम्वत् 2020 से पूर्व नत्थू पुत्र हरमल कुम्हार के नाम से दर्ज था । नत्थू की मृत्यु के बाद इन्तकाल सं0 225 से नत्थू के तीनों पुत्रों अपीलांट के पिता चिरंजी, रेस्पो0 कल्लू व लल्लू के नाम गैर मौरूसी 15 साल दर्ज है । सम्वत् 2009 की जमाबन्दी में खाता सं0 18 में विरासत सं0 225 का नोट अंकित है । गैर मौरूसी साल 15 से स्पष्ट है कि सम्वत् 1994 से ही यह जमीन नत्थू की गैर मौरूसी में रही है ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि सम्वत् 2010–13 की जमाबन्दी के खाता सं0 19 में तीनों समान भाग से खातेदार दर्ज हैं । इसका अंकन गिरदावरी सम्वत् 2014–19 तक में खातेदार दर्ज है । गैर मौरूसीदार के टिनेन्सी एक्ट में क्या अधिकार है । ये गैर खातेदार के समान है तथा 10 वर्ष बाद तो स्वतः ही खातेदारी अधिकार मिलते हैं । सम्वत् 2020 के बन्दोबस्त में चिरंजी का नाम हटा दिया और पुनः गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया । खातेदारी रेकार्ड में आ चुकी है । हम हमारे हिस्से के अनुसार हैं । प्रतिवादीगण की ओर से तहत न्यायालय में इकबाल जवाब दावा पेश हो चुका है । चिरंजी के वारिसान खातेदारी चा रहे हैं तथा कल्लू व लल्लू ने इकबाल दावा पेश किया है । इसलिए खातेदारी प्रदान करने का निवेदन किया ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में आर.टी.एक्ट की धारा 13, 15 व 19 की प्रति, आर. आर.डी. 1985 पेज 342, आर.आर.डी. 1980 पेज 48 से 51, आर.आर.डी. 1983 पेज 64 से 70, आर.बी.जे. 2001 पेज 170 व आर.बी.जे. 2006 पेज 206 से 210 प्रस्तुत किये ।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी । पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

जमाबन्दी सम्वत् 2010–13 के अनुसार विवादित आराजी के अपीलांट के पिता के बाद तीनों पुत्र खातेदार के रूप में दर्ज है । बन्दोबस्त ने सम्वत् 2020 में गलत रूप से पट्टेदार व बाद में गैर खातेदार दर्ज किया है जो विधिसम्मत नहीं है । चूंकि तहत न्यायालय को उक्तानुसार अपीलांट को व असल रेस्पो0 सं0 1 व 2 को 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करना चाहिए था जो नहीं किया गया है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है और अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य पायी जाती है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2017 निरस्त की जाती है तथा विवादित आराजी ख0 नं0 हाल 1316 रकबा 10 ऐयर, 1317 रकबा 20 ऐयर वाके ग्राम जट्याना तहसील व जिला अलवर का अपीलांटान को 1/3 भाग का व रेस्पो0 सं0 1 व 2 को 1/3 –1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । तद्नुसार राजस्व रेकार्ड

में अमल दरामद किया जावें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमलराम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर